# न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

## पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

## पत्रावली संख्या : 05/25(प्रा0पत्र)

## GCMS No. : 2025/47

**अनवान्**

1. श्री भरत पिता लालुराम भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।

..............प्रार्थी

बनाम

1. श्री लालुराम पिता देवा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री विजय आमेटा,अधिवक्ता प्रार्थी।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 05.03.2026**

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं किमौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 519 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के पिता एवं अन्य सहखातेदारों के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 310, 341, 342, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 377, 378 किता 12 कुल रकबा 1.9668 हेक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के पिता एवं अन्य सहखातेदारों के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 726, 727, 739 किता 3 कुल रकबा 0.7608 हेक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के पिता एवं अन्य सहखातेदारों के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं एवं परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 921/810 रकबा 0.9308 हेक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के पिता एवं अन्य सहखातेदारों के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

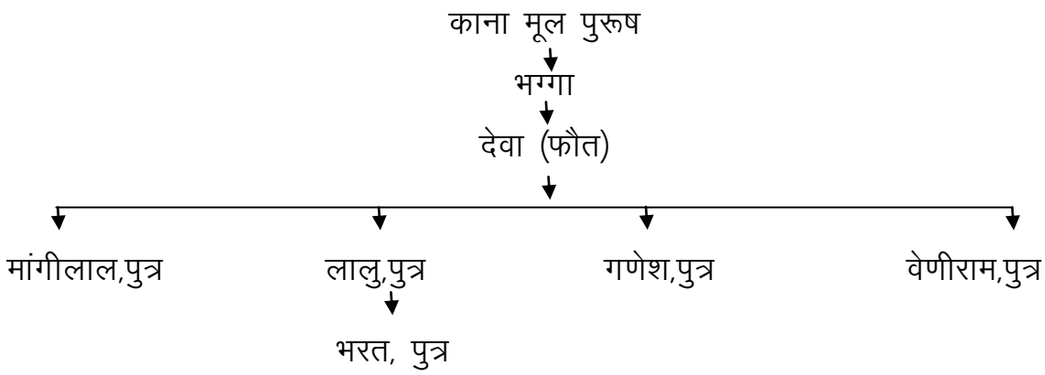


3. यह कि आराजी नम्बर 310, 341, 342, 343, 347, 348, 5, 521, 522, 528, 529, 530, 531, 532, 727, 739 एवं 349 से 352, 377, 378, 501 से 510 की आराजीयात पूर्व में तुलछा पिता भुरा जी एवं भग्गा पिता काना जी 1/2 हिस्से से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा भग्गा की विरासत से उक्त वादग्रस्त भूमि देवा के नाम पर दर्ज हुई। देवा जी की विरासत से उक्त भूमि हिस्से अनुसार विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात विपक्षी संख्या 1 व उसके पिता ने अपने जीवनकाल में अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी तथा उक्त व्यक्तियों ने अपनी आराजी को आवासीय सम्परिवर्तन एवं औद्योगिक परिवर्तन करवा दिया। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 को देवा जी की मृत्यु के उपरान्त लालु जी को जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 06.09.1997 को हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें मैं प्रार्थी लालु का पुत्र एवं देवा का पपौत्र होने की वजह से उक्त भूमि को अपने नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हूं तथा परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 810/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि मेरे दादा देवा पिता भग्गा जी भील के नाम पर गैर खातेदारी होने से जरिये नामान्तकरण संख्या 111 से खातेदारी हैसियत से दर्ज हुई तथा देवा जी के हिस्से की भूमि मेरे पिता जी को विरासत से हिस्से अनुसार प्राप्त हुई है, इस तरह आराजी नम्बर 810/1 जिसके हाल आराजी नम्बर 921/810 मेरी पुश्तैनी आराजीयात हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मौरूसी होने से एवं मैं प्रार्थी लालुराम का पुत्र होने एवं भग्गा का पपौत्र होने की वजह से अपने जन्म से उक्त जायदाद में स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हूं उक्त वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज जमीन में मुझ प्रार्थी का भी हक व हिस्सा जन्म से ही निहित हो गया है परन्तु विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण जमीन का नाजायज फायदा उठा कर नाजायज रूप से उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण करना चाहते है जबकि मौके पर मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा हूं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा मुझ प्रार्थी को जमीन से बेदखल करने की ऐलानिया धमकीयां दी जा रही है तथा मुझ प्रार्थी लालु के पुत्र एवं पौत्र देवा जी होने की वजह से विपक्षी संख्या 1 को विरासत से मिली हुई जमीन में से मेरे हक हिस्से को खुर्द–बुर्द एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई पुश्तैनी जायदाद में मैं प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हुं।

5. यह कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि मौरूसी जायदाद है। मैं प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 का जायन्दा पुत्र एवं देवा जी का पौत्र एवं भाना का पपौत्र होने की वजह से मुझे उक्त सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार के तहत् जन्म से अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिस कारण मैं प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अपना नाम हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हूं तथा मुझ प्रार्थी के अलावा विपक्षी संख्या 1 नहीं हैं। जिस कारण मैं प्रार्थी अपना नाम हिस्से अनुसार दर्ज करवाने का अधिकारी हूं। मैं प्रार्थी अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बन्धित हूं। ग्राम तुलसीदास जी की सराय एवं आस पास के अन्य क्षेत्र हमारी जाति समुदाय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् ही अपनी कृषि भूमि का रद्दोबदल या वसीयत करते है तो हमारे समाज के तथा तुलसीदास जी की सराय के आस–पास के क्षेत्रों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पुत्र एवं पुत्रीयों को भी समान हक व अधिकार पुराने समय से दिया जा रहा हैं। वाद वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी के पिता के भाई मांगीलाल की मृत्यु पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् उनकी पुत्रीयों का नाम भी राजस्व जमाबन्दीयों में दर्ज किया गया। तुलसीदास जी की की सराय के क्षेत्र में हम जाति समुदाय के सभी लोगों द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पालन किया जाता है जिस कारण भी मैं प्रार्थी उक्त भूमि में अपना नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हूं।

6. यह कि विपक्षी संख्या 1 को वाद पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी की मौरूसी वादग्रस्त भूमि में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है, इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने की कोशिश कर रहे है जिनका उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 के मन में बदनियति आ जाने से विपक्षी संख्या 1 ने नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मुझ प्रार्थी को मेरे परदादा की विरासत से प्राप्त हिस्से की आराजीयात से [illegible] रखने के साथ–साथ उक्त भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहे है जिसका विपक्षी संख्या 1 को उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार नया निर्माण नहीं करे, न ही उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द व किसी भी तरह से हस्तान्तरित न करे, न ही किसी अन्य से करावें एवं उक्त आराजीयात की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह से फेर बदल नहीं करें।

7. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन मुझ प्रार्थी को हमारे दादा देवा जी भील की विरासत से प्राप्त होने से मुझ प्रार्थी के अधिकार आधिपत्य हिस्से अनुसार कब्जे में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं। इसलिए मैं प्रार्थी उक्त आराजीयात को अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतन्त्र रूप से दर्ज कराने का अधिकारी हूं।
8. यह कि विपक्षीगण को दिनांक 12.11.2024 को मुझ प्रार्थी को मेरे दादा देवा जी भील की विरासत से प्राप्त वाद पत्र में वर्णित पुश्तैनी, पैतृक आराजीयात पर अवैध कब्जा करने की नियत से लडाई झगडा करने पर उतारू हैं। इसलिए मुझ प्रार्थी को विवश होकर यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। जिससे वाद कारण दिनांक 12.11.2024 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य के मार्फत करावें, मौके एवं राजस्व रेकार्ड की स्थिति बनाये रखें।
9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्वएकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2 से 4 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा।
10. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी कीएकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
11. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी कीएकरतफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. ***प्रथम दृष्टया मामला***—प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बताये गये सजरे अनुसार मूल पुरूष काना जी थे जिनके पुत्र भग्गा हुए। भग्गा के एक पुत्र देवा हुआ। देवा के वारिस मांगीलाल, लालु, गणेश, वेणीराम हुए। प्रार्थी, लालुराम का पुत्र हैं। मौजा तुलसीदास जी की सराय की भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2030 एवं जमाबन्दीसम्वत् 2031—34, 2035—38, 2039—42 का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के परदादा भग्गा पिता काना के नाम दर्ज होना प्रतीत होता हैं जो भग्गा के फौत होने पर विरासत के आधार पर प्रार्थी के दादा देवा पिता भग्गा के नाम दर्ज हुई एवं देवा के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि विरासत के आधार पर प्रार्थी के पिता लालु पिता देवा के नाम दर्ज हुई।

   इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पीढी दर पीढी मौरूस के नाम दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं।पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मौरूसी होना प्रतीत होती हैं। विपक्षी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो ऐसे में प्रार्थी को अपनी मौरूसी भूमि में अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कीपैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मेंनिर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन***—प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1, प्रार्थी के पिता हैं। प्रार्थी द्वारा पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी की पैतृक भूमि होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1उक्त भूमि को अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित, विक्रय या खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा व प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू***—प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदारके नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1, प्रार्थी के पिता हैं। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा चाही गई है इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 519 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 48 पर दर्ज आराजी नम्बर 310, 341, 342, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 377, 378 किता 12 कुल रकबा 1.9668 हेक्टेयर, खाता संख्या 49 पर दर्ज आराजी नम्बर 726, 727, 739 किता 3 कुल रकबा 0.7608 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 144 पर दर्ज आराजी नम्बर 921/810 रकबा 0.9308 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थी के पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा सम्बन्धी हैं। यदि पैतृक भूमि होने का तथ्य साबित होता है तो प्रार्थी वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा परन्तु पैतृक भूमि के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,**में **''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

**अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।"** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 519 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 48 पर दर्ज आराजी नम्बर 310, 341, 342, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 377, 378 किता 12 कुल रकबा 1.9668 हेक्टेयर, खाता संख्या 49 पर दर्ज आराजी नम्बर 726, 727, 739 किता 3 कुल रकबा 0.7608 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 144 पर दर्ज आराजी नम्बर 921/810 रकबा 0.9308 हेक्टेयरभूमिमें मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 लालुराम पिता देवा भील के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। उक्त स्थगन आदेश अन्य सहखातेदार पर प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested